

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा  
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैम्प 2023/24)

प्रकरण संख्या 587/23


दिनांक 01/06/2024

उनवान  
श्री सुवा पुत्र चन्द्रा रेगर  
बनाम  
सरकार जरिये तहसीलदार  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

—: आदेश :-


प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का पीपलून्द भूअ.नि. पीपलून्द एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट / अनुशंथा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम पीपलून्द प. ह. की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 692, 690, 476, में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र स	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	प्रार्थी का नाम	सुखा पुत्र चन्द्रा रेगर	सुवा पुत्र चन्द्रा रेगर

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
- प्रार्थी सुवा पुत्र चन्द्रा रेगर
- रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा